

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/3830/2023

दिनांक :21.12.2023

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/3593/2023 दिनांक 04.12.2023 के द्वारा श्री राकेश कटारा (RJ00282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को दिनांक 16.12.2023 से 18.12.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से  
20.12.2023  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/43/1996/8492

दिनांक 21.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 344 दिनांक 08.12.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री राकेश कटारा (RJ00282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।

Kishan  
21/12/23  
सहायक रजिस्ट्रार